न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 61 सन 2020

अनवान :–

1. जलाल पुत्र पारसा पुत्री इस्माईल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 11 जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. फरीदखान पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. असलम पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
3. जाबिदा पत्नी साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. यासीन खां पुत्र चिरागदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
5. मजीदा पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
6. श्योकतअली पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
7. रियासतअली पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
8. अजीज पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
9. मदीना पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
10. सलमा पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
11. बलकीशा पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
12. नूरसेना पुत्री नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
13. जरीना पत्नी मंजुर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. अरसद पुत्र मंजुर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. शबनम पुत्री मंजुर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. साजिदा पुत्री मंजुर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. नसीब पुत्र मंजुर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. शबिना पुत्री मंजर पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. नजमा पत्नी रफीक पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. सुदाम पुत्र रफीक पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. मोबिना पुत्री रफीक पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. नदीक पुत्री रफीक पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
23. कालुराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
24. लोकेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
25. महबुब अली पुत्र अब्दुल हक जाति कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
26. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
27. मनोज कुमार पुत्र रामकुमार जाति जोशी ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
29. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा नोहर तहसील नोहर।
30. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
31. जैतुन पत्नि नेक मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उपस्थित :- श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता
गैरसायल संख्या 1 ता 3
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता गैरसायल
संख्या 4 ता 31

निर्णय दिनांक :- 09/02/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 15/27 के मु0न0 12 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 ,15 ता 25 व मु0न0 13 के किला न0 11 व 19 ता 22 व मु0न0 15 के किला न0 1 ,2 ,20 व मु0न0 16 के किला न0 1 ता 9 ,व मु0न0 81/27 की 10 बिस्वा रास्ता मु0न0.81/29 की 8 बिश्वा रास्ता कुल 41 बीघा 40 बीघा नहरी 1 बीघा रास्ता की भूमि स्थित है जिसके पूर्व में सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 के नाना ईस्माईल पुत्र ईब्राहिम जाति कुम्हार निवासी नोहर की नोतोड़ करदा भूमि थी।

वाद भूमि पूर्व में सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 52 के नाना ईस्माईल पुत्र इब्राहिम के नाम दर्ज थी इस्माईल की मृत्यू के बाद उपरोक्त भूमि उनके पुत्रगण बिसागदीन व शहबदीन , नेकमोहम्मद व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 की माता जो कि ईब्राहिम की पुत्री पारसा जिसको वारिस ना दिखाकर अकेलो ने उक्त भूमि अनुचित तौर से दर्ज करवाली उक्त पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 का माता पारसा का भी उनके साथ 1/3 हिस्सा बनता था उक्त भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है उक्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादीगण की माता पारसा भी अपने पिता इस्माईल की भूमि में हक व हिस्सा बनता था।

बिसागदीन का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र गैरसायल संख्या 4 ने भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली , शहबदीन का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिसान उसके पुत्र व पत्नी गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने भूमि अपने नाम करवा ली तथा नेक मोहम्मद का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 22 है जिन्होने भी भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है इसप्रकार गैरसायल न0 1 ता 22 ने वाद भूमि अपने नाम अनुचित तौर से करवा ली है उक्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 22 के सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 का हक हिस्सा है इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 ता 22 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 22 के पिता व दादा व ससुर ने उक्त भूमि को पहले गैरसायल संख्या 23 ता 27 को बेचान किया हुआ है जिनका देहान्त हो चुका है वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 27 के नाम सयुक्त खातें में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 70/54 की कुल 8.7779हैक में गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 67 हिस्सा मेंसे 66 हिस्सा यानि 3.06 बीघा भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 बहिब अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसीप्रकार गैरसायल संख्या 4 के नाम 219–1/3 हिस्सा में से 67 हिस्सा यानी 3.07 बीघा भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 31 ता 50 बहिब पाने के अधिकारी है तथा मृतक नेक मोहम्मद के नाम 233–1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में सायल व दावा में दर्ज 31 ता 50 के नाम 67 हिस्सा यानी 3.07 बीघा भूमि दर्ज की जावे शेष 166 हिस्सा गैरसायल संख्या 5 ता 22 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि विधिविरूद्ध तरीके से अकेलो के नाम गलत दर्ज होने से सायल को उसके मुश्तरका कब्जा काश्त से बेदखल करने तथा मौका रिकार्ड की स्थिति परिर्वतन करने की योजना बना रहे है गैरसायल का उक्त मकसद पुरा होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है तथा आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी इसलिये सायल गैरसायल के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 70/54 की कुल तादादी 8.7779हैक भूमि को गैरसायलान रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से विजयसिंह अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 4 स्वय उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित

Scanned with CamScanner

तथ्यो को स्वीकार कर ईकबाल जबाब पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,5 ता 7 ता 27, 31 की और से राजपाल झोरड उपस्थित आया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने सायल के प्रार्थना पत्र. में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की सायल का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण उसकी बहने ने वादग्रस्त भूमि में जरिये त्याग पत्र दिनांक 25.07.2012 के द्वारा अपना हक हिस्सा गैरसायान उतरदाता के पक्ष में त्याग कर दिया था तथा सायल को अपनी सहमति स्वीकृति के खिलाफ जाते हुए दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है।

गैरसायल उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका तौर से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

सायल ने यह दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा पैतृक कृषि भूमि व सयुक्त परिवार की अवधारणा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति से सम्पति का विभाजन करने का कोई प्रावधान नही है तथा सायल ने अपने लिखित त्यागपत्र के खिलाफ जाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उसके खिलाफ मस्ला इस्टोपल आरिज है।

सायल लिखित त्यागपत्र व बैयनामा दिनांक 11.01.2013 को खारिज करवाये बिना किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है बैयनामा व त्यागपत्र खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है सायल व उसकी बहनो ने जरिये त्याग पत्र दिनांक 25.07.2012 को वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा का त्याग कर उसके बदले में राशि प्राप्त कर चुके है मगर तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है मात्र गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 4 जरिये अधिवक्ता वाद में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र में अन्य जबाब की आवश्यकता नही रही ना ही जबाब पेश किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की पारसा ने अपनी मृत्यू से पूर्व अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया था जिस पर पारसा की मृत्यू के बाद पारसा के वारिस असमा, मुस्ताक, मदीना, मैना ने दिनांक 25.07.2012 को अपनी और से परित्याग पत्र समक्ष नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादन करवा दिया था उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है सायल के द्वारा लालचवंश झुठा दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है चुकि सायला की माता के द्वारा अपने जीवनकाल में तथा मृत्यू के बाद उसके वारिसान के द्वारा अपना हक हिस्सा वाद भूमि में शेष नही होना स्वीकार कर लिया था सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 31 के अधिवता ने जबाब पेश किया की पारसा ने अपनी मृत्यू से पूर्व अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया था जिस पर पारसा की मृत्यू के बाद पारसा के वारिस असमा, मुस्ताक, मदीना, मैना ने दिनांक 25.07.2012 को अपनी और से परित्याग पत्र समक्ष नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादन करवा दिया था उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है सायल के द्वारा लालचवंश झुठा दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है चुकि सायला की माता के द्वारा अपने जीवनकाल में तथा मृत्यू के बाद उसके वारिसान के द्वारा अपना हक हिस्सा वाद भूमि में शेष नही होना स्वीकार कर लिया था सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 ता 27 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर निवेदन किया की वह सायल के प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नही करना चाहते इसलिये इनका जबाब बन्द किया गया ।

गैरसायलान जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 15/27 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मु0न0 12 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14 ,15 ता 25 व मु0न0 13 के किला न0 11 व 19 ता 22 व मु0न0 15 के किला न0 1 ,2 ,20 व मु0न0 16 के किला न0 1 ता 9 ,व मु0न0 81/27 की 10 बिस्वा रास्ता मु0न0.81/29 की 8 बिश्वा रास्ता कुल 41 बीधा 40 बीधा नहरी 1 बीधा रास्ता की भूमि स्थित है जिसके पूर्व में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 के नाना ईस्माईल पुत्र ईब्राहिम जाति कुम्हार निवासी नोहर की नोतोड करदा भूमि थी।

वाद भूमि पूर्व में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 52 के नाना ईस्माईल पुत्र इब्राहिम के नाम दर्ज थी इस्माईल की मृत्यू के बाद उपरोक्त भूमि उनके पुत्रगण विरागदीन व शहबदीन , नेकमोहम्मद व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 की माता जो कि ईब्राहिम की पुत्री पारसा जिसको वारिस ना दिखाकर अकेलो ने उक्त भूमि अनुचित तौर से दर्ज करवाली उक्त पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 का माता पारसा का भी उनके साथ 1/3 हिस्सा बनता था उक्त भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है उक्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण की माता पारसा भी अपने पिता इस्माईल की भूमि में हक व हिस्सा बनता था।

विरागदीन का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसके पुत्र गैरसायल संख्या 4 ने भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली , शहबदीन का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिसान उसके पुत्र व पत्नी गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने भूमि अपने नाम करवा ली तथा नेक मोहम्मद का भी देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 22 है जिन्होने भी भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है इसप्रकार गैरसायल न0 1 ता 22 ने वाद भूमि अपने नाम अनुचित तौर से करवा ली है उक्त भूमि में गैरसायल संख्या 1 ता 22 के सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 का हक हिस्सा है इसलिये सायल गेरसायल संख्या 1 ता 22 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 22 के पिता व दादा व ससुर ने उक्त भूमि को पहले गैरसायल संख्या 23 ता 27 को बेचान किया हुआ है जिनका देहान्त हो चुका है वर्तमान में वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 27 के नाम सयुक्त खातें में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 70/54 की कुल 8.7779हैक में गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज 67 हिस्सा मेंसे 66 हिस्सा यानि 3.06 बीधा भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 50 बहिब अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इसीप्रकार गैरसायल संख्या 4 के नाम 219–1/3 हिस्सा में से 67 हिस्सा यानी 3.07 बीधा भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 31 ता 50 बहिय पाने के अधिकारी है तथा मृतक नेक मोहम्मद के नाम 233–1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में सायल व दावा में दर्ज 31 ता 50 के नाम 67 हिस्सा यानी 3.07 बीधा भूमि दर्ज की जावे शेष 166 हिस्सा गैरसायल संख्या 5 ता 22 के नाम दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि विधिविरूद्व तरीके से अकेलो के नाम गलत दर्ज होने से सायल को उसके मुश्तरका कब्जा काश्त से बेदखल करने तथा मौका रिकार्ड की स्थिति परिर्वतन करने की योजना बना रहे है गैरसायल का उक्त मकसद पुरा होने से सायल को अपूर्णीय क्षति होती है तथा आयन्दा मुकदमेंबाजी बढेगी इसलिये सायल गैरसायल के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 1 एनएचआरए के खाता संख्या 70/54 की कुल तादादी 8.7779हैक भूमि को गैरसायलान रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

गैरसायल न0 1 ता 3 ,के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण उसकी बहने ने वादग्रस्त भूमि में जरिये त्याग पत्र दिनांक 25.07.2012 के द्वारा अपना हक हिस्सा गैरसायान उतरदाता के पक्ष में त्याग कर दिया था तथा सायल को अपनी सहमति स्वीकृति के खिलाफ जाते हुए दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है।

गैरसायल उतरदाता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका तौर से रिकार्डड खातेदार काश्तकार दर्ज है के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल ने यह दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा पैतृक कृषि भूमि व संयुक्त परिवार की अवधारणा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि सायल व तरतीबी प्रतिवादीगण मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति से सम्पति का विभाजन करने का कोई प्रावधान नही है तथा सायल ने अपने लिखित त्यागपत्र के खिलाफ जाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा उसके खिलाफ मरसा इस्टोपल आरिज है।

सायल लिखित त्यागपत्र व बैयनामा दिनांक 11.01.2013 को खारिज करवाये बिना किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है बैयनामा व त्यागपत्र खारिज करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है सायल व उसकी बहनो ने जरिये त्याग पत्र दिनांक 25.07.2012 को वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा का त्याग कर उसके बदले में राशि प्राप्त कर चुके है मगर तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है मात्र गैरसायलान को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

गैरसायल संख्या 5 ता 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की पारसा ने अपनी मृत्यू से पूर्व अपना हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया था जिस पर पारसा की मृत्यू के बाद पारसा के वारिस असमा, मुस्ताक, मदीना, मैना ने दिनांक 25.07.2012 को अपनी और से परित्याग पत्र समक्ष नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादन करवा दिया था उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है सायल के द्वारा लालचवंश झुठा दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है चुकि सायला की माता के द्वारा अपने जीवनकाल में तथा मृत्यू के बाद उसके वारिसान के द्वारा अपना हक हिस्सा वाद भूमि में शेष नही होना स्वीकार कर लिया था सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 31 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की पारसा की मृत्यू से पूर्व अपना हक हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिस पर पारसा की मृत्यू के बाद उसकी वारिस असमा, मुस्ताक, मदीना, मैना ने दिनांक 25.07.2012 को अपनी और से परित्याग पत्र समक्ष नोटेरी पब्लिक के समक्ष निष्पादन करवा दिया था उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है जब पारसा ने अपने जीवनकाल में ही अपना हक हिस्सा का त्याग कर दिया था जो सायल वाद भूमि में कोई हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही सायल की माता पारसा के द्वारा वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया गया था अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 70/54 की कुल 8.7779हैक भूमि मुश्तकरा खाते में बतौर खातेदार काश्तकार गैरसायल न0 1 ता 27 के नाम दर्ज है अर्थात गैरसायलान न0 1 ता 27 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सायल वर्तमान में किसी प्रकार का टिनेन्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायल न0 1 ता 27 के पक्ष में पूर्णतया साबित होता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि इस्माईल पुत्र इब्राहिम की भूमि थी जिनके फोत होने पर सायल की माता पारसा का हक हिस्सा है पारसा के हक हिस्सा की भूमि में से सायल अपने हक हिस्सा की भूमि पाने का अधिकारी है सायल का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल मुस्लिम विधि से शासित है जो सायल के द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र के शीर्षकएव गैरसायल के कथनो से साबित है सायल इस्माईल पुत्र इब्राहिम के फोत होने पर अपनी माता का हिस्सा मुस्लिम विधि के अनुसार ही मांग कर सकता है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय हो सकता है प्रथम दृष्टया हिन्दु उतराधिकार अधियिनयम के तहत सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी प्रतीत नही होता है अर्थात सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल ने अपनी माता पारसा के हक हिस्सा की भूमि में से अपने हक हिस्सा की मांग की है जबकि गैरसायल का कथन है कि सायल की माता पारसा ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने जीवनकाल में ही अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग किया हुआ है एव अपने कथनो के समर्थन में नोटरी पब्लिक से तस्दीक शपथ पत्र /दस्तावेज पेश किया गया है।

गैरसायल के प्रस्तुत दस्तावेज /शपथ पत्र के अनुसार पारसा के वारिसान के द्वारा अंकित किया गया है कि उनकी माता पारसा ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि में से अपने हकों को परित्याग किया हुआ है दस्तावेज/शपथपत्र पर पारसा के वारिसान एव स्वय सायल के हस्ताक्षर है गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया सायल की माता के द्वारा अपने हकों का त्याग किया जाना प्रतीत होता है तथा यह त्यागपत्र वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रमाणिकरण भी किया जा सकता है।

सायल ने वाद एव प्रार्थना पत्र में उसकी माता पारसा के द्वारा वाद भूमि के सम्बध में किये गये त्यागपत्र जिस पर सायल स्वय के हस्ताक्षर भी है के सम्बध में अपने प्रार्थना पत्र/वाद में किसी प्रकार का उल्लेख नही किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है।

इस्माईल पुत्र इब्राहिम के जीवनकाल में या इस्माईल पुत्र इब्राहिम के देहान्त होने पर उसके पुत्रों के नाम भूमि दर्ज होने पर वाद भूमि में से कुछ भूमि का बेवान हुआ है जो गैरसायल संख्या 23 से 27 के नाम बैयनामा के आधार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात गैरसायल संख्या 23 ता 27 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार गैरसायल न0 1 ता 22 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे बिना किसी ठोस आधार के किसी भी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायोचित नही है क्योकि सायल वर्तमान में किसी भी प्रकार का टिनेन्ट नही है ना ही सायल ने ऐसा कोई ठोस आधार जाहिर किया गया जिससे किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पावन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनो के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पावन्द किये जाने एवं रजिस्टर बैयनामा खारिज कराये बिना निषेधाज्ञा पारित करने से अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड खातेदार को होती है ना की सायल को अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में साबित/पाये जाने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 14.07.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner